

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 17-12-2019

विषय:- सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4847 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ0सी0/425, दिनांक 28.11.2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 28.11.2019 में की गयी अपेक्षानुसार बिन्दुवार आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु विहित/चयनित समतुल्य गैर वनभूमि के प्रकरणों के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190जी/2018, दिनांक 28 जून, 2019 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ओबरा सोनभद्र, उ0प्र0।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-3, पिपरी, सोनभद्र।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-1220/11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 19, 2018

प्रतिलिपि- 1. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ0सी0/425, दिनांक 28.11.2019 के द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना तथा शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में शासनादेश सं0-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190जी/2018, दिनांक 28.06.2019 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कराते हुए आख्या/प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- 2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ0सी0/425, दिनांक 28.11.2019 के द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना तथा शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में शासनादेश सं0-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190जी/2018, दिनांक 28.06.2019 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या/प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- 3 अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।